फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 45/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/49) **श्री कैलाश कुमावत व श्री चांदमल ब्राहम्ण व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.08.2024	उपस्थिति दौराने बहसः- 1. श्री नरेश जणवा - वकील अपीलार्थी 2. श्री त्रिभुवनसिंह शक्तावत - वकील प्रत्यर्थी-1 **अनवान** 1. श्री कैलाश पिता श्री सुखलाल कुमावत, निवासी ढ़ोरिया तहसील निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़। 2. श्री गोपाल पिता श्री सुखलाल कुमावत, निवासी ढ़ोरिया तहसील निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़। 3. श्री रामलाल पिता श्री सुखलाल कुमावत, निवासी ढ़ोरिया तहसील निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़। 4. श्री विष्णु पिता श्री सुखलाल कुमावत, निवासी ढ़ोरिया तहसील निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़। 5. श्री हीरालाल पिता श्री सुखलाल कुमावत, निवासी ढ़ोरिया तहसील निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़। 6. श्री रत्नेश पिता श्री शम्भुलाल कुमावत, निवासी ढ़ोरिया तहसील निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़। 7. श्रीमती शान्तादेवी बेवा श्री शम्भुलाल कुमावत, निवासी ढ़ोरिया तहसील निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़। 8. श्रीमती सुशीलादेवी पुत्री श्री शम्भुलाल कुमावत, निवासी ढ़ोरिया तहसील निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़। **-अपीलार्थी** **बनाम** 1. श्री चांदमल पिता श्री शंकरलाल ब्राहम्ण, निवासी ढ़ोरिया तहसील निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़। 2. श्री विरेन्द्रसिंह पिता श्री ललितसिंह राजपूत, निवासी ढ़ोरिया तहसील निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़। 3. श्री कालूसिंह पिता श्री भारतसिंह राजपूत, निवासी ढ़ोरिया तहसील निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़। 4. श्री बहादुरसिंह पिता श्री सज्जनसिंह राजपूत, निवासी ढ़ोरिया तहसील निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़। 5. श्री दशरतसिंह पिता श्री सज्जनसिंह राजपूत, निवासी ढ़ोरिया तहसील निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़। 6. श्री वरदीचन्द्र पिता श्री माधुलाल लौहार, निवासी ढ़ोरिया तहसील निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़। 7. श्री छगनलाल पिता श्री माधुलाल लौहार, निवासी ढ़ोरिया तहसील निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़। **-प्रत्यर्थी** **अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.05.2023, प्रकरण संख्या-144/2023 बउनवानी श्री चांदमल ब्राहम्ण बनाम श्री विरेन्द्रसिंह व अन्य** **<u>निर्णय</u>** दिनांक 27.08.2024 उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.05.2023, प्रकरण संख्या-144/2023 बउनवानी श्री चांदमल ब्राहम्ण बनाम श्री विरेन्द्रसिंह व अन्य, के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम अधिनियम के पेश की गई है। प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है- ● वर्तमान अपील की प्रत्यर्थी-1 श्री चांदमल ब्राहम्ण द्वारा वर्तमान अपील के	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 45/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/49) **श्री कैलाश कुमावत व श्री चांदमल ब्राहम्ण व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

रेस्पोडेंट संख्या 2 से 6 व अपीलार्थी संख्या 7 व 8 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा समक्ष प्रार्थना पत्र धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम का पेश कर कथन किया कि राजस्व ग्राम ढ़ोरिया तहसील निम्बाहेड़ा के खाता संख्या 72 की आराजी संख्या 994, 995, 996, 997, 998, 999 कुल किता 6 रकबा 1.4600 हैक्टेयर भूमि उसके खातेदारी की होकर स्थित है। उक्त भूमि के पड़ौसी भूमि की सीमा को लेकर आये दिन विवाद रहा है और उसकी भूमि को नुकसान पंहुचाता है। भूमि के चारों ओर कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं है, इसलिए वह उक्त वादग्रस्त आराजीयात के चारों दिशाओं की सीमाओं पर पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है।

- उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा द्वारा प्रत्यर्थी-1 श्री चांदमल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए निर्णय दिनांक 24.05.2023 पारित कर करते हुए वांछित पत्थरगढ़ी का आदेश प्रसारित किया।

अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.05.2023 से व्यथीत होकर अपीलार्थी द्वारा न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर में अपील मयाद बाहर प्रस्तुत की गई। अपील के साथ अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र दफा 96 जादी का प्रस्तुत किया, जिसे एडमिशन स्तर पर स्वीकार कर प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। पक्षकारान/अधिवक्तागण को तद्नुसार सूचित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। दिनांक 23.08.2024 को वकील अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी-1 उपस्थित, जिनकी बहस सुनी गई। अन्य पक्षकारान बावजुद सुचना अनुपस्थित।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में प्रस्तुत किया है कि अधीनस्थ न्यायालय समक्ष प्रत्यर्थी-1 द्वारा सभी प्रभावित पक्षकारान अपीलार्थी को पक्षकार संयोजित नहीं किया जबकि अपीलार्थीगण पड़ोसी पक्षकार एवं प्रभावित पक्षकार है। इसके अतिरिक्त जिन व्यक्तियों के विरूद्ध प्रार्थना पत्र पेश किया गया था, उसको अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई नोटिस जारी नहीं किया और अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अधिनियम-1956 की धारा-111 की पालना नहीं की गई। प्रत्यर्थी-1 द्वारा पड़ोस से विवाद का कारण बताया गया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल प्रत्यर्थी-1 को सुना गया, वर्तमान अपीलार्थी जो कि पड़ोसी खातेदार था, उसे न तो पक्षकार संयोजित किया गया, न ही उसका पक्ष सुना गया, न नोटिस जारी किया गया। एक ही दिन में प्रकरण निस्तारित कर दिया गया। पत्थरगढ़ी की आड़ में अपीलार्थी को उसकी खातेदारी भूमि से बेदखल करना चाहता है। अंत में अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश को अपास्त का प्रकरण पुनः अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने का अनुरोध किया।

अधिवक्ता प्रत्यर्थी-1 द्वारा अधिवक्ता अपीलार्थी के कथनों के खण्डन में पेश किया कि प्रत्यर्थी-1 द्वारा केवल अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी कराने हेतु आवेदन किया था, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में विधिक विवेचन करते हुए पत्थरगढ़ी के आदेश प्रसारित किये। उक्त आदेश की पालना की जा चुकी है। मौके पर अपीलार्थी 7 व 8 उपस्थित थे, जिन्होनें हस्ताक्षर करने से मना कर दिया गया। अपीलाधीन आदेश की पालना में पत्थरगढ़ी हो चुकी है, जिससे यह अपील प्रभावहीन है। अंत में अधिवक्ता प्रत्यर्थी-1 द्वारा अपील खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

हमने उपस्थित अधिवक्ता की विद्वतापूर्ण बहस व अपील मेमों के अंकित कथनों पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली व अधीनस्थ पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी-1

फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 45/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/49) **श्री कैलाश कुमावत व श्री चांदमल ब्राहम्ण व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

द्वारा अपनी खातेदारी भूमि के संबंध में पड़ोसी खातेदार से सीमा ज्ञान नहीं होने से विवाद की स्थिति के दृष्टिगत पत्थरगढ़ी चाही गई। जिस हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-128 एलआर एक्ट का दिनांक 23.05.2023 को पेश किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 24.05.2023 को दर्ज कर अगामी दिवस को अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर होता है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित अप्रार्थीगण को कोई नोटिस/सम्मन जारी नहीं किया गया, न ही उसको सुनवाई का अवसर दिया गया, जो कि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा-111 के प्रतिकुल होकर पूर्णतया अनुचित है। राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा-111 का यह सार है कि आसामियों के सीमा विवाद के मामले भू-अभिलेख अधिकारी द्वारा प्रचलित सर्वे मानचित्र के आधार पर निपटाये जावेगें और जहां मानचित्र उपलब्ध न हो, वहां वास्तविक कब्जे के आधार पर ऐसे मामलें निपटाये जावेगें। इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जो यह प्रकट करते हो कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा-111 की विहित प्रक्रिया का पालना किया गया हो। प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी अपीलाधीन निर्णय में वर्णित भूमि का पड़ोसी खातेदार है और उसको प्रकरण में पक्षकार संयोजित न कर उसके विरूद्ध निर्णय पारित किया गया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विपरित है। प्रावधित है कि किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध कोई प्रतिकुल आदेश जारी किये जाने से पूर्व उसे अपना पक्ष रखने एवं सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है, यह इस प्रकरण में नहीं किया गया जो समर्थन योग्य नहीं है। यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी व अन्य पक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं करते हुए प्रार्थना पत्र धारा-128 एलआर एक्ट को एडमिशन स्तर पर स्वीकार करते हुए जो आदेश पारित किया गया है, वह त्रुटिपूर्ण है। जहां तक अपीलाधीन आदेश की पालना का प्रश्न है, उक्त आदेश की पालना की जा चुकी है, परन्तु उक्त कार्यवाही सभी प्रभावित पक्षकारान की अनुपस्थिति एवं एक त्रुटिपूर्ण आदेश की पालना में की गई है, ऐसी कार्यवाही/पालना औचित्यपूर्ण नहीं है।

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा-111 की विहित प्रक्रिया की पालना नहीं की, सभी पक्षकारान को प्रकरण में संयोजित नहीं किया, जो पक्षकार पहले से संयोजित थे उनको भी नोटिस जारी नहीं किये गये, जिससे एक त्रुटिपूर्ण अपीलाधीन आदेश पारित किया, जिसका यह न्यायालय समर्थन करना उचित नहीं पाता है। यह उचित है कि अधीनस्थ न्यायालय प्रकरण में सभी प्रभावित पक्षकारान को संयोजित कर उनको पर्याप्त एवं समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान कर राजस्व नियमावली में अंकित प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनः नियमानुसार निर्णय पारित करें।

परिणामतः **अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार** की जाती है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24.05.2023 अपास्त कर उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा को प्रकरण पुनः प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह सभी प्रभावित पक्षकारान को संयोजित कर उनको पर्याप्त एवं समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान कर राजस्व नियमावली में अंकित प्रक्रिया का पालन करते हुए, प्रस्तुत दस्तावेज एवं राजस्व अभिलेख का परिक्षण कर नियमानुसार कार्यवाही कर नये सिरे से एक माह में निर्णय पारित करें। तहत का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया।

(सी.आर.देवासी)
R.A.S.
अति.संभागीय आयुक्त, उदयपुर